तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-10-19	**एकलपीठ** **श्री पंकज नरूका, सदस्य** **उपस्थितः** श्री अजीत सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी। श्री शोकिन्दलाल गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी। **—: आदेश :—** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय, अजमेर , द्वारा प्रकरण संख्या 88 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 18—6—2003 के प्रस्तुत की गई है। 2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 0.1 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.75 है0 एवं खसरा नंबर 32 / 4352 रकबा 0.25 है0 राजस्व ग्राम राजमहल की कृषि भूमि को बीसलपुर परियोजना देवली के पक्ष में ए.आर.ओ. के आदेश के अन्तर्गत नामांतरकरण संख्या 94 भू—मापक व भू—अभिलेख निरीक्षक के द्वारा पूर्ण जांच किया जाकर तत्कालीन ए. आर.ओ. द्वारा दिनांक 11—7—89 को तस्दीक किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04—6—94 द्वारा अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 11—7—89 निरस्त कर दिया उक्त निर्णय दिनांक 04—6—94 से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18—6—2003 द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04—6—94 निरस्त कर दिया तथा नामांतरकरण संख्या 94 11—7—89 को बहाल रख दिया। उक्त निर्णय दिनांक 18—6—2003 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी इमामुदीन द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। 3— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित निगरानी—आधारों को दोहराते हुए कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मानना कि अवाप्ति कार्यवाही से संबंधित बिन्दुओं को सुनवाई करने अथवा तय करने का क्षेत्राधिकार विद्वान उपखण्ड अधिकारी को नहीं था, फिर भी विधि से परे जाकर उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए आदेश पारित किया है, उनके द्वारा केवल नामांतरकरण बाबत सुनवाई की गई थी, अवाप्ति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से संबंधित बिन्दुओं का न तो उनके समक्ष कोई विवाद था व न ही उन पर सुनवाई की गई और न ही उन पर कोई आदेश पारित किया गया, फिर भी यदि विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर अवाप्ति कार्यवाही से संबंधित बिन्दुओं पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा निर्णय पारित किया जाना मानते है तो उनके समक्ष भी उसी परिस्थिति में अपील प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें द्वितीय सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए लौटा देना चाहिए था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि दिनांक 11–7–89 को सिंचाई विभाग, बीसलपुर के नाम नामांतरकरण दर्ज होने पर उसकी 3 वर्ष तक जानकारी नहीं होना संभव नहीं है, कतई गलत है। क्योंकि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे और यह स्पष्ट रूप से विदित था कि भूमि दिनांक 10–5–93 को अवाप्त की गयी थी जिसका अवार्ड आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है। मियाद प्रार्थना पत्र में उन्होंने यह व्यक्त किया है कि प्रार्थी द्वारा मोके पर पेड़ काटते कर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मना करने पर निर्णय दिनांक 06–4–94 की जानकारी उन्हें हुई जबकि स्वयं अप्रार्थी द्वारा जारी पत्र दिनांक 27–7–93 के अनुसार अवाप्त की जाने वाली आराजियात में कोई पेड़ स्थित होने से इन्कार किया गया है। यह दोनो विरोधाभासी कथन होने से स्वीकार्य नहीं है। इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने 6 वर्ष की मियाद अवधि को विवेचन किये बिना ही अपील अन्दर मियाद शुमार कर दी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि नामांतरकरण के कॉलम नंबर 14 में आदेश अधिशाषी अभियंता अंकित किया गया है, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधिक नामांतरकरण से संबंधित प्रावधानों के विपरीत होने से नामांतरकरण संख्या 94 मे पारित आदेश शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। उनका कथन है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा न तो मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया न ही काउंटर शपथ पत्र। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष प्रार्थी की अपील को अन्दर मियाद शुमार करने के आलवा कोई शेष विकल्प ही नहीं था जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे कथन अंकित किये गये है जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा काउण्टर शपथ पत्र पेश किया गया है इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय यह मानता है कि विचारण न्यायालय ने मियाद प्रार्थना पत्र अनिर्णित छोड़ दिया है ऐसे में माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 1974 आर.आर.डी. पेज 11 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपील रिमाण्ड फरमा देनी चाहिए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस को अपने निर्णय का आधार माना है जबकि इस नोटिस में यह अंकित था कि अवाप्ति की कार्यवाही 1993 में की गई है, जो अवैधानिक है तथ इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किये जाने की अनुमति चाही गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तोड़ मरोड़कर कथन करते हुए नामांतरकरण संख्या 94 को सही पारित किया जाना माना है जबकि उक्त नोटिस प्रेषित करने के बाद प्रार्थी ने नामांतरकरण को भी चुनौती दे दी थी जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त फरमा दिया जिससे स्पष्ट है कि धारा 80 सी.पी.सी. के नाटिस में प्रार्थी ने नामांतरकरण संख्या 94 को गलत करार देते हुए निरस्त करने की कार्यवाही की है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–4–88 के विरूद्ध प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई अपील पेश नहीं की, अतः नामांतरकरण उचित है, कतई गलत है क्योंकि जिला कलक्टर के उक्त आदेश की पालना में आज दिनांक तक प्रार्थी के नाम अवार्ड जारी नहीं हुआ तथा राजस्व रिकार्ड में बिना इन्द्राज के उसे कभी अवार्ड जारी नहीं किया जा सकता, न ही प्रार्थी को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है। अतः नियमानुसार अवार्ड जारी कर प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान करने के पश्चात् ही उक्त अवार्ड के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया जा सकता है क्योंकि अवाप्ति की कार्यवाही अवार्ड जारी होने पर ही पूरी होती है। अन्त में उनका कथन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–6–2003 निरस्त फरमाया जावे। 5– इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विवातिदत भूमि पहले ही अवाप्त की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को अवैधानिक बताना उनके क्षेत्राणिकार से बाहर जाना है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेन्टडाई नहीं है। विवादित भूमि राज्य सरकार द्वारा बीसलपुर परियोजना के तहत विधिवत अधिग्रहित कर भूमि का मुआवजा प्रार्थी को जरिये चैक जारी किया तो प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया था। यह तथ्य विचारण न्यायालय में छिपाये गये । भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा विधिवत मुआवजा निर्धारित कर विधिवत रूप से अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही की गई तथा उसी अनुरूप ए.आर.ओ. द्वारा विधिवत ही नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 11–7–89 को बीसलपुर परियोजना सिंचाई विभाग के नाम स्वीकार किया गया, जो जिला कलक्टर टोंक के भूमि अवाप्ति आदेश दिनांक 05–4–88 की अनुपालना में तस्दीक किया गया है। अन्त में उनका कथन है कि भूमि के मुआवजे का कम या ज्यादा निर्धारण होने बाबत कार्यवाही का नामांतरकरण से कोई सरोकार नहीं है। अन्त में उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों के मद्देनजर अप्रार्थी की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया है जो कि विधिसम्मत आदेश है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थी खारिज फरमाई जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। 7— विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने प्रकरण में केवल यह मानते हुए कि प्रार्थी इमामुदीन द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस समय पर पेश किया, उसका कोई संतोष प्रद समाधान नहीं किया गया एवं अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 1993 में की गई है, जो अवैधानिक है, अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 11—7—89 निरस्त किया है। 8— हमनें पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण एंख्या 94 के अवलोकन से यह पाया कि उसके कॉलम संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया था कि अधिशाषी अभियंता पुनर्वास खण्ड बीसलपुर परियोजना देवली के आदेश एवं ए.आर.ओ. के आदेश से भू—अभिलेख निरीक्षक की जांच के पश्चात यह नामांतरकरण तस्दीक किया गया तथा विवादित भूमि के अवाप्ति के आदेश जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 05—4—88 को पारित किये गये थे। जिला कलक्टर टोंक का निर्णय अन्तिम हो चुका था जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण सक्षम अधिकारी ए.आर. ओ. के आदेश के बाद ही तस्दीक किया गया था। जहां तक धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस देने का प्रश्न है, धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस से नामांतरकरण की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती। जिला कलक्टर, टोंक का आदेश दिनांक 5—4—88 जो अन्तिम हो चुका था, उसके विरूद्ध प्रार्थी इमामुदीन ने किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई की गई हो ,ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने बिना मियाद के बिन्दु को निर्णित किये और जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 05—4—88 एवं ए.आर.ओ. द्वारा तस्दीक नामांतरकरण आदेश को नजरंदाज करते हुए जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध है जिसको निरस्त करने में विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तथ्यों के अनुरूप एवं विधिसम्मत है जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं क्योंकि निगरानी का दायर सीमित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में निगरानी के स्तर पर तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि की गई हो अथवा विधि की व्याख्या करने में कोई भूल की गई हो। अतः निगरानी अस्वीकार कर खाजिर किये जाने योग्य है। 9— परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–6–2003 की पुष्टि की जाती है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे । 10– पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **सदस्य**	